न्यायालय जिला कलक्टर, खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या: 12/80/2025 GCMS **संख्या:** 2025/268

दर्ज दिनांक: 13-05-2025 **निर्णय दिनांक:** 21-05-2026

1— भौमसिंह पुत्र रामवतार जाति जाट निवासी ग्राम झाबूआ तहसील बावल जिला रेवाडी (हरि0)

अपीलान्ट

बनाम

1— तहसीलदार, मुंडावर, जिला खैरथल—तिजारा (राजस्थान)

प्रत्यर्थी

अपील अंतर्गत— न्यायालय नायब तहसीलदार, मुंडावर द्वारा राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अंतर्गत पारित आदेश दिनांक 20.03.2025, प्रकरण संख्या 306/2024

उपस्थितिः

1— श्री सरजीत यादव वकील अपीलान्ट

निर्णय

अपीलान्ट द्वारा यह अपील तहसीलदार, मुंडावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। मूल आदेश में यह निष्कर्ष दिया गया कि आराजी खसरा नं. 173 रकबा 30.86 है0 किस्म गैरमुमकिन टीला भूमि में से 2.00 हैक्टेयर भूमि पर अतिक्रमी द्वारा अवैध अतिक्रमण किया गया तथा मौके पर बोई गई फसल को हटाने, अतिक्रमण समाप्त करने तथा पुनरावृत्ति की स्थिति में धारा 91 के अनुसार दण्डात्मक कार्यवाही करने का आदेश दिया गया।

अपीलान्ट का मुख्य कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश तथ्यों एवं कानून के विपरीत पारित किया गया, उसे समुचित अवसर नहीं दिया गया, नोटिस की विधिवत तामील नहीं हुई, पटवारी द्वारा गलत रिपोर्ट प्रस्तुत की गई तथा बिना उचित जांच के आदेश पारित कर दिया गया। अपीलार्थी का यह भी कहना है, कि उसने न तो पूर्व में और न वर्तमान में किसी प्रकार का अतिक्रमण किया है।

मैंने अपील पत्र, अपीलित आदेश तथा उपलब्ध अभिलेखीय सामग्री का अवलोकन किया। अभिलेख से स्पष्ट है कि मूल प्रकरण हल्का पटवारी की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया, नोटिस जारी किए गए तथा कार्यवाही के उपरांत आदेश पारित किया गया। अभिलेख में यह भी परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी को कार्यवाही की जानकारी थी और उसने अपना उत्तर भी प्रस्तुत किया। अतः यह नहीं कहा जा सकता कि आदेश पूर्णतः एकपक्षीय अथवा बिना सूचना के पारित किया गया।

अधीनस्थ न्यायालय ने हल्का पटवारी की रिपोर्ट, मौके की स्थिति तथा उपलब्ध दस्तावेज़ों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि विवादित भूमि गैरमुमकिन टीला की भूमि है और उस पर अपीलार्थी द्वारा कब्जा कर फसल बोई गई। ऐसी भूमि पर अतिक्रमण सार्वजनिक उपयोग में बाधा उत्पन्न करता है, अतः उसका

जिला कलक्टर
खैरथल—तिजारा

हटाया जाना आवश्यक माना गया। उपलब्ध रिकॉर्ड से यह सिद्ध नहीं होता कि अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी साक्ष्य के या अधिकारिता से बाहर जाकर आदेश पारित किया हो।

अपीलीय अधिकारिता में हस्तक्षेप तभी किया जाना उचित होता है जब अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अभिलेख–विरुद्ध, विधि–विरुद्ध, प्राकृतिक न्याय के प्रतिकूल अथवा गंभीर तथ्यात्मक त्रुटि से युक्त हो। मात्र इस आधार पर कि अपीलार्थी का दृष्टिकोण भिन्न है, आदेश निरस्त नहीं किया जा सकता। वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी ऐसा कोई ठोस आधार प्रस्तुत नहीं कर सका है, जिससे यह निष्कर्ष निकले कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश अवैध या असंगत है।

अतः समस्त अभिलेखीय सामग्री, अपील के आधारों तथा अपीलित आदेश पर विचार करने के उपरांत यह न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि अपील निराधार है और इसमें हस्तक्षेप का कोई पर्याप्त आधार नहीं है।

आदेश

1. अपीलान्ट भौमसिंह पुत्र रामवतार जाति जाट निवासी ग्राम झाबूआ तहसील बावल जिला रेवाडी (हरि0) द्वारा प्रस्तुत राजस्व अपील खारिज की जाती है।
2. न्यायालय तहसीलदार मुंडावर द्वारा पारित आदेश दिनांक 20.03.2025, प्रकरण संख्या 306/2024 यथावत् कायम रखा जाता है।
3. संबंधित न्यायालय/तहसीलदार, मुंडावर आदेश की पालना नियमानुसार सुनिश्चित करें।
4. निर्णय की प्रमाणित प्रति संबंधित न्यायालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाए।
5. पत्रावली नियमानुसार दफ्तर दाखिल की जाए।

निर्णय आज दिनांक 21.05.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)